राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस नोट

प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग न हो

झालावाड़ 30 मार्च/भारत सरकार ने भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।

आदेशानुसार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता के प्रावधान कें अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज का ही प्रयोग किया जाए तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फैंका जाये। प्रायः देखने में आया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जबकि प्लास्टिक से बने झंडे लंबे समय तक नष्ट नहीं होते है और ये वातावरण के लिए भी हानिकारक होते हैं। प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान करना एक समस्या है। ऐसे झंडो का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाये। प्लास्टिक से बने झंडों का उपयोग न करें।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, दूषित करता, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है, उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के करावास या जुर्माने अथवा दोनो से दंडित किया जा सकता है।

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

अप्रेल से जून माह तक का गेंहूँ आवंटित

झालावाड़ 30 मार्च/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा माह अप्रेल से जून 2015 तक के लिए जिले को 5657 एम.टी. गेहूँ का (अन्त्योदय परिवारों सहित) आवंटन किया गया है।

जिला कलक्टर (रसद) बिष्णु चरण मल्लिक ने बताया कि प्राप्त खाद्यान्न का तहसीलवार एवं थोक विक्रेताओं को गेहूँ का उप आवंटन जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि तहसील झालरापाटन व पिड़ावा के लिए 13870 क्विंटल गेंहूँ, पचपहाड़ व पिड़ावा के लिए 11437 क्विंटल, अकलेरा व मनोहरथाना के लिए 13386 क्विंटल, तहसील गंगधार के लिए 7591 क्विंटल, तहसील खानपुर व अकलेरा के लिए 10286 क्विंटल गेंहूँ का उप आवंटन किया गया है।

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश

झालावाड़ 30 मार्च/ राजस्व प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की पालना रिपोर्ट प्रतिमाह भिजवाने के निर्देश।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक की अध्यक्षता में सोमवार को मिनी सचिवालय के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी, नामान्तकरण, अतिक्रमण एवं बन्धक श्रमिक सतर्कता समितियों के पुनर्गठन इत्यादि बिन्दुओं पर राजस्व अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि प्रतिमाह के निरीक्षण की पालना रिपोर्ट समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर खजान सिंह ने राजस्व अधिकारियों से जर्जर भवनों, अनुपयोगी भवनों एवं आवंटन योग्य भवनों के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश प्रदान किये। बैठक में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

———————